अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 423 सन् 2015

कृष्णा दास व अन्य.....वादीगण

बनाम

रामनारायण सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

24.09.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को वादी के आवेदन दिनांक 15.11.2018 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी द्वारा दिनांक 15.11.2018 को आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक आवेदन दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने यह मुकदमा तकरारी भूमि पर अपने हकियत एवं दखल कब्जा घोषित करने के लिए लाया है।

वादी का आगे कथन है कि प्रतिवादी सं0 1 से 9 की ओर से दाखिल बयान तहरीरी से वादीगण को यह जानकारी हुई कि खाता सं0 363 खेसरा सं0 3180 रकबा 7 कट्ठा 10 धूर भूमि के संबंध में बैनामा भिभिक्षण दास द्वारा रामाज्ञा सिंह व राम विनोद सिंह एवं राजदेव सिंह के नाम से दिनांक 26.06. 1942 को अमल में लाया गया है जो एक फर्जी दस्तावेज है।

साथ ही वादी का आगे कथन है कि खेसरा सं0 3652 रकबा 14 कट्ठा 15 धूर भूमि के संबंध में एक फर्जी बैनामा दिनांक 05.01.1941 को भिभिक्षण दास द्वारा दुर्गा सिंह एवं देवी सिंह के नाम से लाया गया है एवं दोनों बैनामा फर्जी है एवं इस कारण से अर्जी दावा में मरम्मत होना जरूरी है साथ ही मरम्मत फर्मल नेचर का है और इससे मुकदमे का स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। अतः वादी का आग्रह है कि उसके आवेदन को स्वीकृत कर उसे वादपत्र में उचित मरम्मती करने का अनुमति दिया जाए।

दूसरी तरफ प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आवेदन का जवाब दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहन ाहै कि वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन बहुत विलंब से दाखिल किया गया है एवं यदि वादी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तो इससे मुकदमा का मूल स्वरूप प्रवर्तित हो जाएगा।

प्रतिवादी का आगे कथन है कि प्रस्तुत वाद में वादी की तरफ से 4–5 गवाहों की गवाही हो चुकी है एवं उक्त दोनों बैनामा की जानकारी वादी को बहुत पहले से थी अतः वादी से जानबूझकर यह आवेदन मामले के निस्तारण में विलंब करने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है जो पूर्णतः खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि प्रतिवादी ने अपने बयान तहरीरी में 2 बैनामा का जिक्र किया है एवं दोनों ही फर्जी है और इस संबंध में वादपत्र में मरम्मती आवश्यक है।

प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में यह स्पष्ट कहा गया है कि वादी का उक्त दोनों बैनामा की जानकारी काफी पहले से थी। यह बात सत्य भी है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा अपने बयान तहरीरी दाखिल किए जाने के बाद काफी लंबा समय बीत चुका है और इस बीच वादी ने अपने कई गवाहों की गवाही भी पूरी कर ली है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि वादी को इसकी जानकारी पूर्व से नहीं थी, किंतु मामले के पूर्ण निस्तारण के लिए यह आवश्यक है कि वादी को वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी जाए।

अतः वादी के आवेदन को 600/– रूपये खर्चे के साथ स्वीकृत किया जाता है और उसे आदेश दिया जाता है कि 20 दिनों के अंदर अपने वादपत्र में इस आवेदन के आलोक में उचित संशोधन कर लें।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.11.2019

सब जज
सोनपुर सारण।